**प्रेस नोट**

**दिनांक 01.09.2026**

## थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

**कार्यवाहीः-**

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-209/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त मुल्कराज पुत्र सुनील पाण्डेय को गिरफ्तार कर उसके कब्जे/निशानदेही से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 30.08.2026 को थाना कटराबाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिरपुरवा तिलका निवासी रवि कुमार पाण्डेय पुत्र कृष्णमणि पाण्डेय द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उनके घर की खिड़की तोड़कर घर में रखा कीमती सामान चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 01.09.2026 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त मुल्कराज पुत्र सुनील पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे/निशानदेही से चोरी का सामान बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1. मुल्कराज पुत्र सुनील पाण्डेय, निवासी सिरपुरवा तिलका, थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोगः-**

मु0अ0सं0-209/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस, थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

**बरामदगीः-**

1. 02 अदद थाली पीली धातु
2. 05 अदद फूल की कटोरी
3. 04 अदद सिक्का सफेद धातु
4. 01 अदद गैस सिलेण्डर
5. 01 अदद इन्वर्टर मय बैट्री
6. 01 अदद LCD
7. 01 अदद LG LED TV
8. 01 अदद ग्राइंडर/मिक्सर
9. थाली, बटुली, बटुला, सुपही, परात आदि चोरी का सामान।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 राजेश कुमार दूबे
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह
3. हे0का0 अतीउल्लाह
4. हे0का0 सुनील कुमार
5. म0का0 महेश्वरी

**मीडिया सेल, गोण्डा**

**प्रेस नोट**

**दिनांक 01.09.2026**

## इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई साइबर ठगी में साइबर थाना गोण्डा की बड़ी कार्रवाई, पीड़ित के खाते में ₹12,44,770/- की धनराशि वापस कराई गई

### कार्यवाहीः-

साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर थाना गोण्डा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के खाते से ठगी गई **₹12,44,770/- (बारह लाख चवालीस हजार सात सौ सत्तर रुपये)** की धनराशि विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराकर पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

### घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा श्री **राजेन्द्र कुमार निवासी मालवीय नगर, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा** द्वारा बताया गया कि आईपीओ एवं शेयर मार्केट में निवेश के सम्बन्ध में उनके मोबाइल फोन पर एक इन्वेस्टमेंट ऐप का लिंक भेजा गया, जिस पर उनके द्वारा क्लिक किया गया। बाद में उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ लिया गया, जहां ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा भारी लाभ कमाने का लालच दिया जा रहा था। साइबर अपराधियों द्वारा वादी को अपने जाल में फंसाकर कई बार में धनराशि निवेश कराई गई। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर साइबर अपराध थाना गोण्डा पर **मु0अ0सं0-009/2026, धारा 319(2), 318(4) बीएनएस व धारा 66(D) आईटी एक्ट** पंजीकृत किया गया। साइबर थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विभिन्न बैंकों के खातों में फ्रीज कराई गई **₹12,44,770/-** की धनराशि को विधिक प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ित के खाते में वापस कराया गया। धनराशि वापस मिलने पर वादी द्वारा गोण्डा पुलिस व साइबर थाना पुलिस एवं पूरी टीम का आभार व्यक्त किया गया।

### पंजीकृत अभियोगः-

01- मु0अ0सं0-009/2026, धारा 319(2), 318(4) बीएनएस व धारा 66(D) आईटी एक्ट, साइबर अपराध थाना, जनपद गोण्डा।

### वापस कराई गई धनराशिः-

₹12,44,770/- (बारह लाख चवालीस हजार सात सौ सत्तर रुपये)

### धनराशि वापस कराने वाली टीमः-

1. प्र0नि0 श्री सत्य प्रकाश यादव, **साइबर अपराध थाना, गोण्डा।**
2. हे0का0 मोहन यादव, **साइबर अपराध थाना, गोण्डा।**
3. का0 अंकुर गुप्ता, **साइबर अपराध थाना, गोण्डा।**

**मीडिया सेल, गोण्डा**

**प्रेस नोट**

**दिनांक 01.09.2026**

**थाना छपिया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-**

**कार्यवाही-**

थाना छपिया पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 341/2026 धारा 137(2), बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अंकित पासवान पुत्र मुखराम को मसकनवां चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2026 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को विपक्षी अंकित पासवान पुत्र मुखराम को बहलाफुसला कर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 01.09.2026 को थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त अंकित पासवान पुत्र मुखराम को मसकनवां चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अंकित पासवान पुत्र मुखराम निवासी ककरघटा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 341/2026 धारा 137(2) बीएनएस थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राकेश पटेल।

02. म0का0 मंजू यादव

03. हे0का0 शिव कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।